हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
प्रकरण - नं. नारायण बनाम चान्दा वगैरह
नं - 63/15

15.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम बेंरा में पेश हुई। उभयपक्ष पक्षकारान नियत शिविर में अनुपस्थित। विचारण वादपत्र का अवलोकन किया गया। वादीगण ने यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत कराने विभाजन आराजीयात प्रस्तुत किया है। शिविर में मौजूद राज्य पक्ष की और तहसीलदार बनेडा मार्फत हल्का पटवारी ने यह अवगत कराया कि वादीगण द्वारा इस वादपत्र के माध्यम से चाही गयी दाद का पहले से ही राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जा चुका है, यानि कि इस वादपत्र में अंकित पक्षकारान उभयपक्ष के मध्य वाद विचारण के दौरान ही सहमति से विभाजन हो चुका है, एंव राजस्व अभिलेखों में खाते प्रथक प्रथक दर्ज किये जा चुके है। उनके द्वारा प्रमाण में प्रस्तुत रिपोर्ट मय जमाबन्दी को रिकार्ड पर लिया गया।

ऐसी स्थिती में इस पत्रावली में अब आगे कोई अन्य कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। जिससे प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई ओचित्य प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के जरिये चाही गयी दाद पहले से हासिल हो चुकि होने से, प्रकरण स्वतः ड्रोप हो जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।